दां.प्रकी.(जमा.) 4508/2004

10.12.2004

माननीय न यायाधिपति श्री कृष णकुमार

प्रार्थी के अधिवक ता श्री मनोज कुमार गर्ग,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध याय उपस्थि थत।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त-प्रार्थी का यह माल नहीं था, मात्र ट्रक का मालिक था और शराब भरकर वह ले जा रहा था। प्रेम नाम के व्यक्ति की शराब होने की सूचना पुलिस को मिली है और उसके ट्रक को रोक कर जब्त की गई है। अभियुक्त से तफ्तीश हो चुकी है, वह न्यायिक हिरासत में है, मजिस्ट्रेट ट्रायल का प्रकरण है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है और अभियुक्त माल का परिवहन कर रहा था। अत: ऐसे प्रकरण में अभियुक्त की जमानत स्वीकार नहीं की जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि अभियुक्त से तफ्तीश हो चुकी है, वह न्यायिक हिरासत में है, फरार होगा या जमानत का दुरूपयोग करेगा, नहीं बताया गया है। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुणावगुण पर राय दिए अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी दर्शनसिंह पुत्र सरजीत सिंह योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न यायाधिपतिकृष णकुमार)